राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, उद्योग भवन, सी–स्कीम, जयपुर फोन–0141–4259914, 2227416, फेक्सः–2227723)

क्रमांक : प. 8(20) ग्रा.वि./आरजीएवीपी/2013 – 36315 दिनांक : 17/08/2016

वाहन सेवाओं की आपूर्ति हेतु निविदा सूचना

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद द्वारा संचालित परियोजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (विश्व बैंक द्वारा पोषित) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु वर्ष 2016–17 के लिये साधारण व वातानूकूलित वाहन सेवाओं की आपूर्ति कार्य हेतु मोहर बन्द लिफाफे में इच्छुक पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेन्सियों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

इच्छुक रजिस्टर्ड एजेन्सियों उपरोक्त वर्णित कार्यालय से दिनांक 22.08.2016 से दिनांक 14.09.2016, सायं 5:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में रू. 200/– निविदा शुल्क जमा कराकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदादाताओं द्वारा पूर्ण रूप से भरी हुई तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी निविदा में सफल पाये जाने वाले निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य जानकारी एवं शर्ते कार्यालय की वेबसाईट www.rgavp.org. व राज्य सरकार के प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

Sd-

महाप्रबन्धक (प्रशासन)
आरजीएवीपी

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(तृतीय तल, बी– ब्लॉक, उधोग भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन : 0141–4259914, 2227416,
फैक्स न. 2227723)

क्रमांक प.8(20)ग्रावि/आरजीएवीपी /2013/36315 जयपुर, दिनांक : 17/08/2016

टेण्डर फार्म

(साधारण व वातानूकूलित वाहन)

निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक 14/09/2016 समय सायं 5:00 बजे तक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 15/09/2016 समय मध्यान्ह् 12:00 बजे तक निविदा खोलने की दिनांक 15/09/2016 समय अपरान्ह् 3:00 बजे।

(मूल्य–200/–रूपये)

तकनीकी निविदा प्रपत्र **F-A**

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, जयपुर।

साधारण/वातानुकूलित/आरामदायक वाहनों के लिये निविदा।

1. निविदादाता फर्म का नाम, पता मय टेलीफोन नं. – ....
2. निविदादाता के घर का पता मय टेलीफोन नं. – ....
3. निविदादाता के गेराज का पता मय टेलीफोन नं. – ....

   (यदि कोई हो तो) . ...

4. संदर्भ राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् दिनांक...........................

   विज्ञप्ति सं.........................

5. निविदा हेतु अरनेस्ट मनी राशि रूपये.............. बैक ड्रॉफ्ट............./कार्यालय रसीद सं. दिनांक......... बैक का नाम............... द्वारा जमा करा दी गई / प्रति संलग्न है।
6. निविदादाता फर्म द्वारा पूर्व में अन्य सरकारी कार्यालय/ संस्थाओं को वाहन किराये पर दिये गये अनुबन्धों का विवरण (अनुबन्ध की प्रतियां संलग्न करें)

वर्ष	कुल लागत (रू. लाखों में)
2012–13	
2013–14	
2014–15	

7. निविदादाता का आयकर पंजीकरण विवरण ....
8. निविदादाता का विगत तीन वर्ष का वित्तीय टर्न ओवर

वर्ष	टर्न ओवर (रू. लाखों में)
2012–13	
2013–14	
2014–15	

9. प्रस्तावित वाहनों का विवरण (रजिस्ट्रेशन नं., इंश्योरेन्स, आर. टी.ओ. से Fitness, Pollution Certificate आदि की सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक है।)

नाम वाहन (नॉन एसी) वर्ष 2012 अथवा उसके बाद का मॉडल स्वीकार्य मॉडलवार विवरण	संख्या	वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं.	मॉडल
स्विफ्ट डीजायर			
बेलेरो			
इन्डिका कार			
स्कोर्पियों			
क्वालीस			

नाम वाहन (एसी) वर्ष 2012 अथवा उसके बाद का मॉडल स्वीकार्य मॉडलवार विवरण	संख्या	वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं.	मॉडल
इन्डिका कार			
इनोवा कार/टवेरा			
इन्डीगो कार/स्विफ्ट डीजायर			
स्कोर्पियो/इनोवा/बोलेरो/टवेरा			
क्वालीस/इनोवा/बोलेरो/टवेरा			

नाम वाहन (नॉन एसी) वर्ष 2012 अथवा उसके बाद का मॉडल स्वीकार्य मॉडलवार विवरण	संख्या	वाहनों के रजिस्ट्रेशन नं.	मॉडल
बस (40 सीटर)			
टैम्पो ट्रेवलर			

नोटः—

1. मासिक आधार पर अनुबन्धित किये जाने वाले वाहन उपरोक्त तालिका में वर्णित वाहनों में से चयनित वाहन होगें तथा लिखित स्वीकृति के बिना इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
2. जिन वाहनों का विवरण उक्त तालिका में दर्शाया गया है उनका भौतिक परीक्षण कार्यालय द्वारा आदेशित दिनांक को मय मूल दस्तावेज करवाया जायेगा।
3. समय—समय पर आवश्यकतानुसार अनुबन्धित किये जाने वाले वाहन भी तालिका में वर्णित मॉडल एवं परिक्षित भौतिक स्थिति से निम्न स्तर के स्वीकार्य नहीं होगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय स्टाम्प

1. दरें समस्त देय कर (सर्विस टैक्स आदि) सहित अंकित करे।
2. उक्त दरें अनुबन्ध अवधि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाऐं प्रदान करने पर सक्षम अनुमोदन के उपरान्त एक साल तक के लिये बढाया जा सकता है।
3. उपर्युक्त वाहनों के किमी. की गणना प्रतिदिन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्, कार्यालय से अथवा जहां से वाहन कार्यालय उपयेाग हेतु प्रारंभ होगा, की जावेगी न कि निविदादाता के गैराज से ।
4. उपरोक्त दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि की मांग/वर्णन स्वीकार्य नहीं होगा।
5. अनुबंध कर्ता को टैक्सी सेवायें प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
6. वाहन की मरम्मत एवं रख रखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्त्ता की होगी।
7. वाहन का ड्राइवर मान्य लाईसेंस शुदा होना चाहिए एवं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए।
8. टैक्सी संबंधित अर्थोरिटी से रजिस्ट्रर्ड होनी चाहिए।

हमने निविदा की समस्त शर्ते क्रम संख्या 1 से 8 पढ एवं समझ ली है व हमें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म नाम मय सील

निविदा की शर्ते
तकनीकी निविदा (F-A) के साथ संलग्न करें

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में प्रेषित की जानी चाहिए। लिफाफों पर जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का पृथक–पृथक लिफाफे पर उल्लेख नहीं होने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
2. निविदा टाइप अथवा बाल पेन से स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों दोनों से भरी जावे। करेक्टिंग फल्यूड का इस्तेमाल न कर प्रत्येक कटिंग या ओवर राईटिंग पर लघु हस्ताक्षर करें। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
3. निविदादाता स्वयं वाहन मालिक/ट्रेवल्स एजेन्ट होना आवश्यक है।
4. उक्त दरें अनुबन्ध अवधि से एक वर्ष के लिए विधि मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से संतोषप्रद सेवाऐं प्रदान करने पर सक्षम अनुमोदन के उपरान्त एक साल तक के लिए बढाया जा सकता है।
5. निविदा दर समस्त देय करो (सर्विस टैक्स आदि) सहित अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित होनी चाहिए।
6. समस्त अस्थाई प्रकृति के करों यथा टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किग इत्यादि का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जायेगा। राज्य से बाहर जाने पर पथ कर एवं सर्विस टैक्स का भुगतान निविदादाता को ही करना होगा।
7. वाहन टैक्सी नम्बर में पंजीकृत होना चाहिए तथा परिवहन अधिकारी द्वारा वाहन का वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए।
8. वाहन सेवाओं की अनुपलब्धता एवं शिकायतें (चालक सम्बन्धी) पाई जाने पर 400/– प्रतिदिन का शास्ति (Penalty) विभाग द्वारा वसूल किया जावेगा।
9. निविदा में दर्शाये गये वाहनों के टैक्स चुकता प्रमाण–पत्र, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेन्स की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न करें।
10. अनुबंध अवधि में वाहन बीमित होना आवश्यक है किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. निविदादाता के पास निविदा में दर्शाये गये कम से कम 4 ए.सी. वाहन स्वयं के नाम से रजिस्ट्रर्ड उपलब्ध होने चाहिए तथा स्टेट मिशन डायरेक्टर, कार्यालय द्वारा टेलीफोन पर सूचित करने पर 1 घंटे के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित अवधि में वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में विभाग द्वारा वाहन अन्यत्र से प्राप्त किया जायेगा जिस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय (निविदा के अन्तर्गत अनुमोदित दर से अधिक) की वसूली निविदादाता से की जायेगी।

12. विभाग को प्रेषित किये जाने वाले वाहन की Upholstery टूटी–फूटी नहीं हो। वाइपर, हैड लाइट एवं बेक लाइट, हार्न, इंडिकेटर सही कार्य कर रहे हो तथा खिडकियों में शीशे सही हालात में हो अन्यथा प्रत्येक कमी के लिये स्टेट मिशन डायरेक्टर द्वारा मनोनीत समिति के निर्णयानुसार जुर्माना करने का अधिकार होगा।

13. अनुबंध कर्त्ता को टैक्सी सेवायें प्रदान करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा निविदादाता का पिछले तीन वर्षो का टर्नओवर रू. 45.00 लाख होना चहिए।

14. उपर्युक्त वाहनों के किमी. की गणना प्रतिदिन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् कार्यालय से अथवा जहॉ से वाहन कार्यालय उपयोग हेतु प्रारंभ होगा, की जावेगी न कि निविदादाता के गैराज से , यह प्रक्रिया वापसी यात्रा के लिये मान्य होगी। वाहन में लगा हुआ मीटर प्रमाणिक रूप से सील किया हुआ होना चाहिये। ऐसा नहीं होने की स्थिति में उपयोग में लिए गये किलोमीटर्स के निर्धारण हेतु स्टेट मिशन डायरेक्टर, कार्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

15. वाहन की स्थिति तथा मॉडल का अवलोकन वित्तिय निविदाओं के खोलने से पूर्व किया जायेगा।

16. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अंकित की जावे। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

17. अनुबंधित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायः 8.00 बजे तक साधारणतः कार्य करेगा। निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात वाहन काम में लेने हेतु पूर्व सूचना पर उपस्थित होना होगा, इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। निविदादाता किसी प्रकार के ओवर टाईम की मांग नहीं करेगा।

18. यदि राजपत्रित अवकाश के दिन भी वाहन काम में लिया जाता है, तो इस हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

19. भविष्य में पेट्रोल/डीजल की दरों में घटत/बढत होती है तो विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

20. फर्म को उपयोग किये जाने वाहन का मासिक भुगतान किया जावेगा। समस्त देय कर (सर्विस टैक्स इत्यादि) एवं अन्य खर्चे निविदादाता द्वारा देय होगा। निविदादाता का किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

21. फर्मो को ड्यूटी स्लिप के आधार पर बिल तैयार कर प्रस्तुत करना होगा। ड्यूटी स्लिप को यात्रा करने वाले अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा तथा बिल के साथ ड्यूटी स्लिप की प्रति संलग्न करनी होगी।

22. विभाग द्वारा वाहन की मॉग करने पर फर्म को डीजल/पेट्रोल/(फुल टेंक) करवाकर भिजवाना होगा तथा लम्बी दूरी के लिए इस हेतु चालक को राशि उपलब्ध करानी होगी।

23. विभाग को भिजवाये जा रहे वाहन के वाहन चालक के पास वैद्य ड्राईविंग लाइसेन्स हो एवं उसका बीमित होना एवं वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन चालक नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करता हो, सदाचारी एवं व्यवहार कुशल हो।

24. यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त/टूट–फूट/चालान आदि होने पर राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् कार्यालय का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त स्थिति में होने वाले व्यय के लिये फर्म उत्तरदायी होगी। यदि दुर्घटना में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् को कोई हानि होती है तो उसका दायित्व फर्म का होगा।

25. निविदा स्वीकृत होने पर एग्रीमेन्ट के साथ सिक्योरिटी राशि अनुमानित लागत की पांच प्रतिशत राशि लगत अथवा बैंक राशि के रूप में जमा करनी होगी। स्टेट मिशन डायरेक्टर कार्यालय को यह अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दें।

26. वर्ष 2014–15 का सर्विस टैक्स चुकता प्रमाण पत्र सलंग्न करे।

27. निविदा के साथ धरोहर राशि रूपये 30,000 का बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक जो राज्य परियोजना निदेशक आरआरएलपी जयपुर के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा। धरोहर राशि के अभाव में निविदा मान्य नही होगी। सफल निविदादाता द्वारा प्रतिभूति राशि 5 प्रतिशत की दर से जमा करवानी होगी जिसमें धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी।

28. स्टेट मिशन डायरेक्टर कार्यालय के द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा और कोई शर्त मान्य नही होगी।

29. उपरोक्त शर्तो की पूर्ति के अभाव या निविदादाता द्वारा अन्य कोई शर्त जोडने पर निविदा अमान्य की जा सकती है।

30. किसी भी विवाद की स्थिति में स्टेट मिशन डायरेक्टर महोदय का निर्णय अन्तिम होगा।

31. वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

32. अनुबंध के अनुसार सेवा की आपूर्ति नही करने पर निविदा निरस्त करते हुए जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

33. फर्म/निविदादाता द्वारा मरम्मत एवं रिपेयर का भुगतान स्वयं वहन करना होगा।

निविदा की समस्त शर्ते क्रम संख्या 1 से 33 पढ एवं समझ ली है व हमें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैनें/हमने जिन वाहनो के लिए निविदा दी है, उनके लिए यदि वह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा प्रपत्र (वित्तीय)

राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद

(अ) मासिक आधार पर दर अनुबन्ध हेतु वाहनों की दरें:–

क्र.स.	वाहन का प्रकार		न्यूनतम 1500 किमी. के लिये मासिक दर	1500 किमी. पश्चात प्रति किमी. दर
1.	इंडिगो कार डीजल	एसी		
		नॉन एसी		
2.	इन्डीका कार डीजल	एसी		
		नॉन एसी		
3.	बोलेरो / टवेरा	एसी		
		नॉन एसी		

(ब) समय– समय पर आवश्यकतानुसार मांग पर वाहनों की दरें:–

वाहन नाम	बाहर की यात्रा के लिए		लोकल यात्रा के लिए				
	प्रति किमी. दर (न्यूनतम 250 किमी. प्रतिदिन)	रात्रि चार्जेज (प्रति रात्रि दर)	दर प्रति घंटा		पूर्ण दिवस के लिए (12 घंटा) दर		अतिरिक्त किमी. दर (लोकल दर)
			दर प्रति घंटा	प्रति घंटा किमी. उपलब्धतता	दर	किमी. उपलब्धतता	
इन्डिका कार डीजल (नॉन ए.सी.)							
इनोवा कार डीजल (नॉन ए.सी.)							
इन्डीगो कार (नॉन ए.सी.)							
स्कोर्पियो (नॉन ए. सी.)							
टवेरा (नॉन ए.सी.)							
इन्डिका कार (एसी)							
इनोवा कार (एसी)							
इन्डीगो कार (एसी)							
स्कोर्पियो (एसी)							
टवेरा / स्विफ्ट डिजायर (एसी)							